न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 236/2021 दायर दिनॉंक 09.01.2021

वादी		प्रतिवादी
1.गणेशराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉंक **25.03.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी के कृषि भूमि वर्तमान खेत खसरा संख्या 326 रकबा 0.3300 है. खसरा नम्बर 328 रकबा 1.45 है. खसरा नम्बर 328/427 रकबा 0.01 है. गै.मु. ट्युब बैल, खसरा संख्या 388 रकबा 0.08 है. गै.मु. सडक वाके सरहद बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है। वादी के खेत में नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में दर्शाया गया है व रास्ता मौके पर कभी नहीं रहा है ना ही वर्तमान में मौके पर है। रास्ता हमेशा मार्क ए सी से बी चलता आया है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से मार्क ए से बी रास्ता गलत दर्ज हो गया है। यह रासता कभी भी नहीं रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड से मार्क ए से बी रास्ता हटाया जावे। इसलिए दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी रास्ता जो की मौके पर नहीं है परन्तु राजस्व रेकर्ड के नक्शे गलती से दर्ज हो रखा है। उक्त रास्ते को दुरूस्त किया जाकर रेकर्ड से हटाया जाकर मार्क ए सी बी रास्ता जो मौके पर चालू है तथा जिस पर सडक भी बन चुकी है को ए से बी के स्थान पर ए, सी, बी रास्ता घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक रीडर/2022/265 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी नजरी नक्शा में मार्क ए से बी के स्थान पर ए, सी बी रास्ता घोषित किये जाने के इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बकवास के खसरा संख्या 385 किस्म गै.मु.रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मौके पर उक्त रास्ता खसरा संख्या 384 के दक्षिणी सीमा पर खसरा नम्बर 388 किस्म गै.मु.रास्ता राजस्व रेकर्ड में निजी खातेदारी में दर्ज है वहां रास्ते का आवागमन हो रहा है मौके पर सी.सी.सडक एवं

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

ब्लॉक लगे हुए है। खसरा नम्बर 385 किस्म गै.मु.रास्ता जो बिन्दु सं. ए से बी के मध्य राजस्व रेकर्ड मे सरकारी खाता में दर्ज है जो मौके पर आवागमन नहीं है एवं बिन्दु संख्या सी से डी के मध्य खसरा नम्बर 388 किस्म गै.मु.रास्ता जो निजी खातेदारी में दर्ज है एवं मौके पर आवागमन चालू है तथा मौके पर सी.सी. ब्लॉक सडक का निर्माण किया हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम बकवास के खसरा संख्या 385 व खसरा संख्या 388 को परस्पर प्रतिस्थापित किया जाता है एवं खसरा संख्या 388 की किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर चाही 3 दुरूस्त की जाती है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.03.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना